

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक.....D/4354/

जबलपुर, दिनांक 4/9/2021

IV-12-14/80 Pt- VII-Q

श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव, Secretary to the Judge, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30.06.2021 से गृह भाड़ा भत्ता बंद किया जाता है तथा भविष्य में गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति हेतु पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही गृह भाड़ा भत्ता संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

सही/-  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

क्रमांक .....D/4355/

जबलपुर, दिनांक 4/9/2021

IV-12-14/80 Pt- VII-Q

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर को इस निर्देश के साथ की दिनांक 30.06.2021 से गृह भाड़ा भत्ता बंद करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
5. सहायक अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव, Secretary to the Judge, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर  
की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)